Rashtriya Sahara- 04- January-2022

# बांधों की सुरक्षा बेहद अहम

मुद्दा

निर्मल यादव

जल पर आधारित जीव जगत के जीवन का संबंध चिरकालीन है। जल के बगैर हम सृष्टि के अस्तित्व की कल्पना तक नहीं कर सकते। यही वजह है कि विश्व की तमाम मानव सभ्यताएं सदानीरा नदियों के इर्दगिर्द ही फलीं-फूलीं। मानव सभ्यताओं की विकास यात्रा के क्रम में जैसे-जैसे पानी की मांग में वृद्धि होती गई, वैसे-वैसे जल संग्रह के उपाय व्यापक होते चले गए। बांध इन्हीं उपायों का व्यापकतम रूप है। बांधों के वजूद में आने के साथ ही नदियों के बहते हुए जल का संचय करने का चलन दुनिया भर में आरंभ हो गया।

बाढ़ की समस्या से निपटने और पानी सहेजने के मकसद से विश्व के तमाम देश प्राचीन काल से ही बांधों का निर्माण करते आए हैं। आधुनिक युग में सिंचाई व पेयजल आपूर्ति से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने तथा पन-बिजली के उत्पादन के मद्देनजर दुनिया भर में हजारों की संख्या में बांधों का निर्माण हुआ। यदि बड़े बांधों की बात करें तो दुनिया भर में अब तक 50 हजार से ज्यादा बांध बनाए जा चुके हैं। इतिहास साक्षी है कि विश्व का सबसे प्राचीन मानव निर्मित बांध 3000 ईसा पूर्व में तत्कालीन मेसोपोटामिया में बनाया गया। वहां पर बाकायदा बांधों की एक श्रृंखला बनाई गई थी। मेसोपोटामिया के अतिरिक्त मिस्र, रोम, श्रीलंका आदि देशों में भी ईसा पूर्व के कालखंड में बांध बनाए जाने के उल्लेख मिलते हैं। भारत में यहां चोल राजवंश द्वारा ग्रांड एनीकट नाम से जो बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है, उसे भारत के प्राचीनतम बांध के रूप में स्वीकार किया जाता है। आंकड़ों की दृष्टि से देखें, तो बांधों के मामले में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर चीन तथा दूसरे पर अमेरिका है। बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अनुसार देश में 5334 छोटे-बड़े बांधों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 411 बांध निर्माणाधीन हैं।

देश की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के बांध सालाना लगभग 300 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी का भंडारण करते हैं, लेकिन ये बांध लगातार पुराने हो रहे हैं। लगभग 80 फीसद बांधों की उम्र 25 वर्ष से अधिक हो चुकी है। मजे की बात तो यह है कि भारत में 227 बांधों की आयु 100 साल से ज्यादा हो चुकी है। देश में राष्ट्रीय महत्व वाले बांध की संख्या 65 है। इनमें से 11 निर्माणाधीन हैं।

राष्ट्रीय महत्त्व के बांधों की श्रेणी में ऐसे बांधों को शामिल किया जाता है, जिनकी उंचाई 100 मीटर से अधिक हो या बांध की स्टोरेज क्षमता एक बिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक हो। भारत में जो कुल बांध हैं, उनमें से 92 परसेंट ऐसे हैं जो इंटर स्टेट रिवर बेसिन क्षेत्र में स्थित नदियों पर बने हुए हैं। महत्त्वपूर्ण यह भी है कि बांधों की सुरक्षा एक अंतरराज्यीय विषय है। ऐसे में यह बड़ा जरूरी था कि बांधों की सुरक्षा को लेकर पूरे देश का एक कानून सम्मत 'कॉमन प्रोटोकॉल' बनाया जाए। इस दृष्टि से 'बांध सुरक्षा विधेयक' को संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति मिलना बेहद महत्त्वपूर्ण है। सही मायनों में बांध सुरक्षा की दिशा में केंद्र सरकार का यह कदम बेहद सार्थक है। यह एक मील का पत्थर साबित होगा। देश में बांधों की विफलता या क्षतिग्रस्त होने की घटनाओं में 15 हजार से अधिक लोगों को जान गंवानी पड़ी है, लेकिन कालांतर में इन घटनाओं से सबक नहीं लिया गया। इंसानी जिंदगी के लिए खतरा बनने वाले ऐसे हादसों से सबक लेने के बजाय विभिन्न राज्य एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपने में मशगूल रहे। बांध सुरक्षा विधेयक 2019 पर लोक सभा ने 2 अगस्त 2019 को मुहर लगाई थी, जिसके ठीक दो साल बाद 2 अगस्त, 2021 को इसे राज्य सभा ने भी पारित कर दिया। अब अधिनियम और नियम बनने के साथ ही देश में बांध सुरक्षा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होगा।

दोनों सदनों में कानून पर मुहर लगने के दौरान देश में बांधों के क्षतिग्रस्त होने की घटनाए 41 से बढ़कर 42 हो गई। जिम्मेदारी और जवाबदेही अभी तक के संगठन स्ट्रक्चर में नहीं है, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश के अन्नामाया बांध जैसे हादसे की आशंका पर अंकुश लगाने में दिक्कतें आती रही हैं। अभी तक बांध सुरक्षा को लेकर देश में राष्ट्रीय स्तर पर दो संस्थाएं काम करती हैं 'नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी' और केंद्रीय जल आयोग का 'डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन'। ठीक इसी तरह राज्यों में भी दो स्तरीय व्यवस्था अपनाई गई है, लेकिन यह चारों संस्थाएं महज सलाहकारी भूमिका में काम करती है। इन्हें किसी भी तरह की संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है।

इसलिए राज्यों के स्तर पर गम्भीरता से इस महत्त्वपूर्ण विषय पर काम नहीं हो पाता है। वर्तमान विधेयक में भी इन्हीं दो स्तरीय व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है। इस दो स्तरीय व्यवस्था में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण बनेगा। समिति एक तकनीकी निकाय है। वह एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगी, जिसमें राज्यों के सदस्य होंगे, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होंगे और इस विषय के विशेषज्ञ भी होंगे। सार संक्षेप में ये कहना लाजिमी होगा कि लागू होने वाली नई व्यवस्था को पूरी संजीदगी से जमीन पर उतारना होगा। तब ही अपने हित के लिए बनाए गए बांधों से जुड़े कुदरत के भारी नुकसान के खतरे से महफूज रहा जा सकेगा।

Amar Ujala- 04- January-2022

Rajasthan Patrika- 04- January-2022

नेपाल से फिलहाल मंजूरी का इंतजार

# नेपाल की नदी से बुझेगी राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की प्यास!

## शारदा-यमुना-राजस्थान-साबरमती लिंक परियोजना की फिजिबल रिपोर्ट तैयार

विवेक श्रीवास्तव
patrika.com

**नई दिल्ली.** भारत-नेपाल सीमा के हिमालय क्षेत्र में बहने वाली शारदा नदी को यमुना नदी से जोड़कर राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की प्यास बुझाने के लिए केन्द्र सरकार बड़ी योजना लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए भारत सरकार क नेपाल से बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक नेपाल की मंजूरी नहीं मिली है।

केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय ने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शारदा-यमुना-राजस्थान-साबरमती लिंक प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसकी अनुमानित लागत करीब एक लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस परियोजना से उत्तरप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को सबसे ज्यादा लाभ होगा।

जलशक्ति मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने नदी जोड़ो योजना में यमुना से जोड़ने के लिए शारदा नदी को चिन्हित किया है। योजना के मुताबिक, आगामी 15 से 20 वर्ष में राजस्थान, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और गुजरात की जनता को पेयजल मिलेगा और जमीन भी सिंचित होगी। भारत की ओर से नेपाल में पंचेश्वर नदी पर बांध परियोजना पूर्ण होने पर अगले चरण में इस योजना पर चर्चा की जाएगी। नदियों को जोड़ने की परियोजना की लंबाई 1835 किलोमीटर के करीब है। नदियों जोड़कर हिमालय की नदियों के व्यर्थ बहने वाले पानी को जरूरतमंद प्रदेशों की ओर मोड़ने का प्रयास किया जाएगा। शारदा-यमुना-राजस्थान-साबरमती लिंक परियोजना से नेपाल को काफी बिजली मिलेगी। शारदा के अलावा घाघरा नदी को भी यमुना से जोड़ने के लिए चिन्हित किया गया है। नदियों को जोड़ने की योजना 1980 में तैयार की गई थी।

### सुकड़ी नदी तक पहुंचाएंगे पानी

नेपाल में शारदा नदी पर 5 जलाशय बनाकर ज्यादा पानी उत्तराखंड से यमुना नदी में लाया जाएगा। नहर के जरिए पानी को राजस्थान की सुकड़ी नदी तक पहुंचाया जाएगा। सुकड़ी के पानी को साबरमती नदी से जोड़ा जाएगा। सुकड़ी का उ-मस्थल पाली जिले की पहाड़ियों में है, यह पाली, जालौर से बाड़मेर जिले के समदड़ी में लूनी नदी में मिलती है।

Rajasthan Patrika- 04- January-2022

# 22 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित, सबसे ज्यादा खेत सींचने वाला राज्य बना यूपी

**लखनऊ.** उत्तर प्रदेश के जल शक्ति विभाग के मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह ने दिल्ली स्थित कैनाल कॉलोनी में कुल 702.47 लाख रुपये की धनराशि की पुनरोद्धार परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि हर खेत तक पानी पहुंचाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा करने में प्रदेश सरकार जुटी हुई है। चार साल के अंदर विकास के रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। अब उत्तर प्रदेश 22 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करके सबसे ज्यादा खेतों को सींचने वाला राज्य बन गया है। निश्चित रूप से आगे जो भी परियोजनाएं हैं, उन्हें भी पूरा किया जाएगा। जल शक्ति विभाग के मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह ने कुल 702.47 लाख रुपये की धनराशि की पुनरोद्धार परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इन पुनरुद्धार परियोजना कॉलोनी में परिसर स्थित क्षतिग्रस्त वाल्मीकि फील्ड हास्टल के पुनरोद्धार की परियोजना 210.21 लाख रुपये, विशिष्ट एवं अति विशिष्ट श्रेणी के अतिथि गृहों एवं गेस्ट हाउस परिसर में स्थित झील के पुनरुद्धार/ पुनर्स्थापना की परियोजना लागत 361.08 लाख रुपए और दिल्ली क्षेत्र के अन्तर्गत ओखला बैराज के अपस्ट्रीम में यमुना नदी पर दाएं एफलक्स बन्ध के किनारे कैनाल कॉलोनी ओखला से कालिंदी कुंज पार्क तक आरसीसी दीवार निर्माण कार्य की परियोजना लागत 131.18 लाख रुपए शामिल है।

## '4 साल में विकास के नये आयाम बनाए'

मंत्री डॉ. महेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रदेश के हर गांव में शहरों को पहुंच बनाने की दिशा प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। प्रदेश में 4 साल के अंदर विकास से कई रिकॉर्ड स्थापित किए गए हैं। चार साल के अंदर 22 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करके उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा खेतों को सिंचित करने वाला राज्य बना है। निश्चित रूप से आगे जो भी परियोजनाएं हैं, उन्हें भी पूरा किया जाएगा।